6/20 [illegible] 15/10/20

13/20 [illegible] 13/12/2020

17/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित / सामिल नोटिस पत्र। बावजूद सूचना प्रतिपक्षीगण अनुपस्थित। उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.01.2021 को पेश हो।

21/01 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक - 11.02.2021 को पेश हो।

11/02 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि भूमि आराजी ख.नं. 234 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम मुहाना, पटवार हल्का कालीपुर व ख.नं. 185, 186, 193 कुल किता 03 कुल रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम देवी पटवार हल्का जाहजोद एवं ख.नं. 1075, 1076, 1079, 1081, 1085 कुल किता 05 कुल रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम कुरेश पटवार हल्का कुरेश, तह. सीपलू जिला टोंक (राज.) में स्थित हैं। उभय वर्गित आराजीयात में प्रार्थिका एवं प्रतिपक्षीगण संयुक्त खातेदार हैं। जिस पर प्रार्थिका एवं प्रतिपक्षीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने-2 हक व हिस्से की भूमि को काश्त करते चले आ रहे। परन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थिका के हक व हिस्से की आराजी

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम सीपलू

तारीख उपखण्ड अधिकारी सीपलू जिला टोंक

तारीख को समय 27 सन 2020

हुक्म या कार्यवाही यथा इतिशियाय जब	तारीख व संक्षिप्त आदेश जो इस हुक्म की तामील में जारी हो
को उपयोग उपभोग करने में मजाहमत एवं मदाखलत कर रहे हैं। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को अगले अग्रिम निवेशाना से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.07.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा तावैसला बाद कायम की एवं प्रतिपक्षीगण को प्रार्थिका के हक व हिस्से की आराजी के करने काश्त में मजाहमत एवं मदाखलत नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावे।	
प्रतिपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.07.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के प्रार्थिका अधिकारी है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.07.20 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा तावैसला बाद कायम किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल बाद के साथ संलग्न रहे।	

उप खण्ड अधिकारी
सीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner